

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5243
उत्तर देने की तारीख 24 जुलाई, 2019

कोडरमा में दूरसंचार सेवाएं

5243. श्रीमती अन्नपूर्णा देवी:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने झारखंड के कोडरमा जिले में असंतोषजनक दूरसंचार सेवाओं पर ध्यान दिया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और
- (ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं और उक्त उपायों के अब तक क्या परिणाम रहे?

उत्तर

संचार, विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) सेवा गुणवत्ता की निगरानी करता है तथा तिमाही निष्पादन मॉनिटरिंग रिपोर्ट (पीएमआर) के माध्यम से समय-समय पर जारी सेवा-गुणवत्ता विनियमों के मद्देनजर ट्राई द्वारा निर्धारित विभिन्न सेवा गुणवत्ता मानदण्डों के बेंचमार्क के प्रति दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करता है। लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन समग्र रूप से किया जाता है जो सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करता है। ट्राई द्वारा जारी की गई पीएमआर के अनुसार, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं कुल मिलाकर संतोषजनक हैं।

मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए ट्राई द्वारा जारी क्यूओएस के अनुसार, दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) झारखंड राज्य के साथ बिहार लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) के लिए सभी मानदण्डों को पूरा कर रहे हैं, जिसका विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

(ग) सरकार द्वारा दूरसंचार सेवाओं को और मजबूती प्रदान करने के लिए उठाए गए कदम:

कॉल ड्रॉप की समस्या से निपटने तथा दूरसंचार सेवाओं के सुधार और विस्तार को सुविधाजनक बनाने के लिए, सरकार ने निम्नलिखित उपायों की श्रृंखला शुरू की है:

- (i) वर्ष 2016 में 965 मेगाहर्ट्ज की नीलामी के साथ मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराना,
- (ii) दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रशासनिक रूप से आवंटित स्पेक्ट्रम की ट्रेडिंग और उदारीकरण, स्पेक्ट्रम शेयरिंग को कुशल उपयोग हेतु सुकर बनाने के लिए अनुमति देना।
- (iii) उच्चतम उपयोग दक्षता प्राप्त करने हेतु दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा सक्रिय तथा निष्क्रिय (एक्टिव एवं पैसिव) अवसंरचना की शेयरिंग की अनुमति,
- (iv) भूमिगत अवसंरचना (ऑप्टिकल फाइबर) एवं भूमि पर अवसंरचना (मोबाइल टावर) को विनियमित करने हेतु नवंबर 2016, में भारतीय तार मार्गाधिकार अधिनियम, 2016 की अधिसूचना। विभिन्न राज्य सरकारों और उनकी एजेन्सियों ने मार्गाधिकार अधिनियम 2016 के साथ अपनी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नीति को मिलाना (अलाइनिंग) शुरू कर दिया है।

चल रही भारतनेट परियोजना के अंतर्गत, कोडरमा जिले की 114 ग्राम पंचायतों को ओएफसी पर जोड़ा गया है जिनमें से 110 ग्राम पंचायतों को दिनांक 04.07.2019 की स्थिति के अनुसार सेवा के लिए तैयार किया गया है।

अनुबंध-।

लोक सभा में "कोडरमा में दूरसंचार सेवाओं" के बारे में माननीय संसद सदस्य श्रीमती अन्नपूर्णा देवी द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2019 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 5243 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सेलुलर मोबाइल सेवा के लिए सेवा गुणवत्ता मानदण्डों का निष्पादन

लाइसेंस सेवा क्षेत्र	दूरसंचार सेवा प्रदाता	बीटीएस संचित डाउनटाइम	काल सेट-अप सफलता दर	ट्रैफिक चैनल कंजेशन	ड्रॉप काल स्थानिक वितरण माप	ड्रॉप काल दर अस्थायी वितरण माप	
	बेंचमार्क(एस)	≤ 2%	≥ 95%	≤ 2%	≤ 2%	≤ 3%	
बिहार	एयरटेल	0.31	97.86	1.29	1.77	1.88	
	बीएसएनएल	1.89	95.66	0.50	1.89	2.40	
	आर जिओ	0.13	99.40	0.01	0.57	0.74	
	टाटा	0.23	97.30	0.00	0.00	0.00	
	वी आई एल	आइडिया	0.58	98.28	1.95	1.55	2.17
		वोडाफोन	0.58	98.28	1.95	1.55	2.17
